Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

21 फरवरी, 2014

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 21 फरवरी, 2014

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 22
विभिन्न मामलों का उठाना	(1) 29
घोषणाएं :-	(1) 30
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(1) 30
(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(1) 31
(ख) सचिव द्वारा	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1) 31
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(1) 33

वाक-आऊट्स	(1) 38
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र	(1) 39
विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।	(1) 40
(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1) 40
(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1) 41
(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1) 42
(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1) 44

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 21 फरवरी, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 4.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, I have to report to the House that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly today *i.e.* the 21st February, 2014 at 2.00 P.M. under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित सभासदो !

मैं हरियाणा विधानसभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको और आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों को एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और फलदायी वर्ष के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

2. मेरी सरकार ने सतत प्रयासों और ठोस कार्यों के नौ वर्ष पूरे कर लिये हैं। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक नवजीवन का संचार करने और समावेशित विकास सुनिश्चित करने में सफल रही है। सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है। सरकार ने न केवल चुनावी घोषणा–पत्र अथवा इस सम्मानित सदन में किये गये वायदों को पूरा किया है, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयास किया है। परिणामस्वरूप सरकार ने लोगों का विश्वास अर्जित किया है और लोगों के भरोसे और जनादेश के काबिल बनी है।

3. राज्य की वित्तीय स्थिति में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उत्पादक प्रयोजनों के लिए संसाधनों को दिशा देते हुए वित्तीय सुधार की जारी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

4. माननीय सभासदो ! आपको यह जानकर खुशी होगी कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ने वर्ष 2012–13 और 2013–14 में राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की औसत दर से बेहतर प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.9 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के समक्ष 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इसके साथ–साथ राज्य की अर्थव्यवस्था तीव्र ढांचागत परिवर्तन से गुजर रही है। 11वीं योजना अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में 12.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और

[श्री अध्यक्ष]

तृतीयक क्षेत्र वर्तमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 15.1 प्रतिशत, 26.9 प्रतिशत और 58 प्रतिशत दर्शाते हैं। सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि से लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिले हैं।

5. हरियाणा ने वित्तीय संसाधन जुटाने में भी देश के सभी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। राजस्व की अत्याधिक वृद्धि के कारण राज्य का कुल योजना परिव्यय वर्ष 2007–08, जोकि 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष था, के 5500 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2013–14, जोकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है, में 18000 करोड़ रुपये अनुमानित है।

6. राज्य के ऋण को भी दक्षतापूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया गया है। 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि कुल राजस्व प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान का अनुपात 15 प्रतिशत से कम रहना चाहिए। हरियाणा में वर्ष 2011–12 में यह अनुपात 13.09 प्रतिशत और 2012–13 में 14.11 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 22.7 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के समक्ष 17.43 प्रतिशत था। वर्ष 2012–13 में वित्तीय घाटा 3 प्रतिशत था, जोकि वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

7. पिछले नौ वर्षों में मेरी सरकार ने राज्य के शासन ढांचे की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। इस अवधि के दौरान राज्य में लोकतांत्रिक संस्थानों को स्वायत्तता तथा उनके उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाकर उन्हें मजबूत किया गया। मेरी सरकार ने राज्य विधानसभा तथा राज्य के अंदर अन्य संवैधानिक निकायों की गरिमा का भी सतत् संरक्षण किया है और इसमें वृद्धि की है। मेरी सरकार ने टकराव और प्रतिशोध की बजाय परामर्श, परिचर्चा और आम सहमति की राजनैतिक संस्कृति को प्रोत्साहित किया है।

8. पिछले एक वर्ष में हरियाणा ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। तरक्की के हरियाणा मॉडल की पूरे देश में सराहना हुई है। वास्तव में, यह देश के अन्य राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया है। मेरी सरकार ने हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को सामाजिक क्षेत्र में की गई पहलों के साथ मिलाते हुए अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है।

9. मेरी सरकार ने उस भ्रम को भी तोड़ने का निर्णय लिया है कि किसान केवल भूमि जोतने वाला ही है। सरकार किसान को एक उद्यमी और एक ऐसा वर्ग मानती है, जिसे पोषण की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में किसान मॉडल स्कूल खोले हैं, जिनका लक्ष्य किसानों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। राज्य में भूमि जोत के सिकुड़ते आकार के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के दक्षता उन्नयन के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कृषि आदानों के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किसानों को ऋणों का प्रवाह बढ़ाया गया है। राज्य ने गन्ने का देश में सर्वाधिक भाव निर्धारित किया है। किसानों में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित

करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य में दो एग्रो मॉल्स का निर्माण पूरा किया है और कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अनुबंध खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

10. पिछले नौ वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊँचाइयां और नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। राज्य निरन्तर एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है। गुड़गांव में देश की पहली नेशनल डिफैंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। झज्जर और सोनीपत में आई.आई.टी., दिल्ली के विस्तार परिसर स्थापित किये जा रहे हैं। किलोहड़, सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी गई है। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। मुरथल, सोनीपत में केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 39 हो गई है, जिसमें 17 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।

11. मेरी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी प्रतिष्ठित परियोजनाएं लाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया है। जसौरखेड़ी, झज्जर में ग्लोबल सैंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप स्थापित किया जा रहा है। बाढ़सा, झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर, फतेहाबाद में अणु विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। लघु एवं सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमशीलता के प्रोत्साहन तथा दक्षता विकास के लिए साहा, अम्बाला और रोहतक में टूल रूम एण्ड टैक्नोलॉजी सैंटर स्थापित किये जा रहे हैं।

12. मेरी सरकार हमारे समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण एवं समावेशित विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। वृद्धजनों, अशक्तों और विधवाओं के सम्मान के तौर पर इनकी पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग–ए और बीपीएल से सम्बन्धित 3.83 लाख गरीब परिवारों को 100–100 वर्ग गज के प्लाट मुहैया करवाये गये हैं। अन्त्योदय अन्न योजना तथा बीपीएल से सम्बन्धित 12.84 लाख परिवारों को प्रतिमाह 2.5 किलोग्राम दाल, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरी सरकार ने पहली जनवरी, 2014 से चौकीदारों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह किया है। मेरी सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी क्षेत्र में 65000 रिक्तियां भरने का एक सघन अभियान हाल ही में शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के 15041 पदों का बैकलॉग भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान भी शुरू किया गया है।

कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां

13. कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की शानदार उपलब्धियां अभाव से समृद्धि की ओर बढ़ने की कहानी है। मेरी सरकार ने कृषि के लिए मजबूत आधारभूत सुविधाओं के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए कृषि अनुसंधान तथा विस्तार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कार्यनीति के बेहतरीन परिणाम आये हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2012–13 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 162.32 लाख मीट्रिक टन के एक प्रभावी स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2012–13 के दौरान चावल और गेहूं में निरन्तर उच्च

[श्री अध्यक्ष]

उत्पादकता के लिए हरियाणा को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा "प्रशंसा पुरस्कार" प्रदान किया गया।

14. वर्ष 2013–14 के लिए कृषि विभाग हेतु राज्य योजनागत परिव्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के 356.62 करोड़ रुपये के समक्ष 523.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया, जोकि 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

15. गुणवत्तापरक आदानों का अधिक से अधिक प्रयोग उच्च उत्पादन की कुंजी है। सरकार द्वारा धान, गेहूं और जौ के प्रमाणित बीजों का वितरण 500 रुपये प्रति क्विंटल तथा दालों और तिलहनों की नयी किस्मों का वितरण 2200 रुपये प्रति क्विंटल की अनुदानित दर पर किया गया। कपास के प्रमाणित बीजों पर भी बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत की दर पर अनुदान उपलब्ध है। वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न फसलों के लगभग 14.50 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये। वर्ष 2012–13 के दौरान गेहूं, धान, जौ तथा तिलहन फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर क्रमशः 56 प्रतिशत, 35 प्रतिशत, 86 प्रतिशत और 97 प्रतिशत थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान रासायनिक उर्वरकों की खपत, पिछले वर्ष की 13.50 लाख मीट्रिक टन की खपत के समक्ष 14 लाख मीट्रिक टन के स्तर को छूने की सम्भावना है। नियमित निगरानी के कारण राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता खपत से अधिक रही।

16. खराब क्षारीय मृदा के सुधार तथा सल्फर की कमी की भरपाई के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2013–14 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कुल 5 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा उप–सतही जल निकासी व्यवस्था बिछाकर जल भराव वाली भूमियों का सुधार किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 3.63 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और लगभग 600 हैक्टेयर भूमि का सुधार किया गया। राज्य में कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन हेतु उन्नत यंत्रों यथा जीरो टिल सीड–कम–फर्टीलाइजर्स ड्रिल, स्ट्रा रीपर, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर इत्यादि पर लागत के 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

17. सरकार मृदाओं में मुख्य तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने के लिए निरन्तर मृदा परीक्षण कार्यक्रम लागू कर रही है। वर्तमान समय में राज्य में 34 स्थिर मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा तीन सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान तीन नयी स्थिर मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं, दो सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा पांच मौजूदा स्थिर मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के मजबूतीकरण के लिए एक प्रस्ताव "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्धन पर राष्ट्रीय परियोजना" के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अब तक 18.97 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

18. राज्य के चिन्हित जिलों में निरन्तर क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

19. कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में और अधिक निवेश के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चालू वर्ष में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 381.25 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान फसल विविधिकरण योजना के अंतर्गत 110.50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 6.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुसूचित जातियों के किसानों और श्रमिकों के उत्थान के लिए वर्ष 2013–14 के दौरान मधुमक्खी पालन की एक नयी योजना लागू की गई।

20. राज्य सरकार ने गन्ने का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। राज्य सरकार ने पिराई सीजन 2013–14 के लिए गन्ने की पछेती, मध्यम और पहले पकने वाली किस्मों का गन्ना परामर्श मूल्य क्रमशः 301 रुपये, 295 रुपये और 290 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जोकि देश में सर्वाधिक में से एक है। "टैक्नोलॉजी मिशन ऑन शुगरकेन" के नाम से एक नई स्टेट प्लान स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। चालू वर्ष 2013–14 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों में "रिंग पिट मैथड ऑफ प्लांटेशन ऑफ शुगरकेन" के नाम से एक नई तकनीक को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे गन्ने की पैदावार कुछ ही वर्षों में दोगुनी होने की सम्भावना है। गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों और बीजों के लिए सहायता दी जा रही है।

21. पहली जनवरी, 2014 से 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केटयार्ड में किसान एवं खेतिहर मजदूर की मृत्यु की स्थिति में पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। स्थाई अशक्तता की स्थिति में 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दुर्घटना में अंग भंग होने पर भी वित्तीय सहायता मिलेगी। मेरी सरकार कृषि उत्पादों की उचित विपणन सुविधाओं का विस्तार करना अपना कर्त्तव्य समझती है। इसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 655 करोड़ रुपये के व्यय से पहली अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2013 के दौरान अपने कुल 10914 किलोमीटर लम्बे सड़क तंत्र में से 7750 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मरम्मत की है। चालू वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर 54 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। रोहतक तथा पानीपत में एग्रो मॉल पूरे किये गये। करनाल में एग्रो मॉल का कार्य पूरा होने वाला है तथा पंचकूला में इसका कार्य अग्रिम चरण में प्रगति पर है। एग्रो मॉलों पर अभी तक 161.50 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं।

22. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत मौजूदा सब्जी मण्डियों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई परियोजनाएं चलाई गईं। प्रथम चरण में 11 स्थानों पर कोल्ड चेन, राइपनिंग चैम्बर, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। ये सभी योजनाएं किसानों के उत्पाद के मूल्य संवर्धन के लिए शुरू की गई हैं। इस मिशन के द्वितीय चरण के अंतर्गत, चार केन्द्रों अर्थात फरीदाबाद, जींद, पेहवा और यमुनानगर में 12.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोल्ड चेन के कार्य शुरू किये गये हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत लाडवा, कुरुक्षेत्र में 9.10 करोड़ रुपये की लागत से उपोषण फल केन्द्र, रामनगर, कुरुक्षेत्र में 10.50 करोड़ रुपये की लागत से समेकित मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र, घरौण्डा

[श्री अध्यक्ष]

स्थित सब्जी उत्कृष्टता केन्द्र में 15 करोड़ रुपये की लागत से पुष्प परियोजना तथा विभिन्न स्थानों पर पपीता, केला और अमरूद केन्द्रों के विकास की अभिनव परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए सहायता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत तथा अन्य किसानों के लिए 75 प्रतिशत तक की है। सूक्ष्म सिंचाई के तहत क्षेत्र, जोकि वर्ष 2005–06 तक 3736 हैक्टेयर था, वर्ष 2012–13 तक बढ़कर 31,786 हैक्टेयर हो गया।

23. अन्य सम्बद्ध गतिविधियों में भी हरियाणा ने तेजी से प्रगति की है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 5700 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष की मत्स्य उत्पादकता के साथ हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार में एक मत्स्य महाविद्यालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

24. वनों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 235.76 लाख पौधों के रोपण तथा राज्य के लोगों को 52.5 लाख पौधों की बिक्री के द्वारा चालू वर्ष में 22950 हैक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के अधीन लाया गया। राज्य के कलेसर तथा मोरनी हिल्स में एक इको टूरिज्म परियोजना शुरू की जा रही है। परम्परागत भारतीय चिकित्सा प्रणाली के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने तथा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर कृषि की विविधता के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अब तक 40 हर्बल पार्क स्थापित किये जा चुके हैं तथा 8 हर्बल पार्क स्थापित किये जा रहे हैं।

25. मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दुधारू पशुओं की मृत्यु होने पर किसानों को मुआवजा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और इस प्रयोजन के लिए पहली जनवरी, 2014 से "मुख्यमंत्री ग्रामीण दुधारू पशुधन सुरक्षा योजना" के नाम से एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले विभिन्न नस्लों के दुधारू पशु पंजीकरण के पात्र होंगे। पंजीकृत पशुओं की मृत्यु की स्थिति में, पशुओं के मालिक दूध देने की क्षमता के आधार पर गाय/भैंस के मामले में 20000 रुपये से 50000 रुपये तक और बकरियों के मामले में 3000 रुपये का निर्धारित मुआवजा लेने के पात्र होंगे। इस खर्चे के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के तंत्र को मजबूत बनाने के लिए पिछले नौ वर्षों के दौरान पशु चिकित्सा संस्थानों की मरम्मत, पुनरोद्धार और नये भवनों के निर्माण पर 96.01 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन

26. सरकार ने हरियाणा के किसानों का भाग्य बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सरकार ने बाढ़, आग, बिजली स्पार्किंग, ओले पड़ने और आंधी–तूफान के कारण गेहूं, धान और कपास की खड़ी फसलों के नुकसान के लिए राहत की दरें 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत और 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुकसान के लिए बढ़ाकर क्रमशः 5500 से 10000 रुपये, 4500 से 7500 रुपये और 3500 से 5000 रुपये की

हैं। इसी प्रकार बाढ़, आग, बिजली स्पार्किंग, ओले पड़ने तथा आंधी–तूफान के कारण अन्य खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान पर राहत की दरें 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत और 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक नुकसान के लिए बढ़ाकर क्रमशः 4500 से 7500 रुपये, 3500 से 5000 रुपये और 2500 से 4000 रुपये की हैं। सूखे के कारण गेहूं, धान और कपास की खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान पर राहत की दरें 51 प्रतिशत या इससे ऊपर हुए नुकसान के लिए 2700 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये की गई हैं। इसी प्रकार सूखे के कारण अन्य खड़ी फसलों को होने वाले नुकसान पर राहत की दरें 51 प्रतिशत या इससे ऊपर हुए नुकसान के लिए 2100 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये की गई हैं।

27. सरकार ने पूर्व पंजाब उपयोगिता अधिनियम, 1949 के अंतर्गत भूमि की अधिकतम पट्टा अवधि 20 वर्ष से 99 वर्ष तक बढ़ाकर विस्थापित लोगों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य भूमिहीन/गरीब व्यक्तियों की आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने डोहलीदारों, बुटीमारों, भोण्डीदारों और मुकर्रदारों को मालिकाना हक दिये हैं। मेरी सरकार ने उत्तराखण्ड त्रासदी के प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए उत्तराखण्ड के 25 गांवों को अपनाने का निर्णय लिया है।

खाद्य एवं आपूर्ति

28. हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू करने वाले भारतीय संघ के पहले राज्यों में है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को दो रुपये प्रति किलोग्राम के अनुदानित मूल्य पर 35 किलोग्राम गेहूं का लाभ जारी रहेगा तथा प्राथमिकता वाले परिवारों के सदस्यों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से उसी मूल्य पर लाभ मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों समेत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित 54 लाख लाभार्थियों को 20 अगस्त, 2013 से इस अधिनियम के तहत लाया गया है तथा सभी चिन्हित परिवारों समेत जनवरी, 2014 से 1.26 करोड़ लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया गया है। बाद में पात्र पाये जाने वाले अन्य प्राथमिकता वाले परिवारों समेत इसका और विस्तार किया जाएगा।

29. राज्य के निचले आर्थिक तबके से सम्बन्धित लोगों की पोषण जरूरतों के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार ने सभी अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह 20 रुपये प्रति किलोग्राम के अति अनुदानित मूल्य पर 2.5 किलोग्राम दालें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 20 अगस्त, 2013 से "दाल–रोटी" योजना शुरू की है।

30. किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के दृष्टिगत, मेरी सरकार ने रबी–2013 में 1350 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 58.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की तथा खरीफ विपणन सत्र 2013–14 के दौरान 35.75 लाख मीट्रिक टन लेवी धान की सामान्य तथा ग्रेड 'ए' किस्मों की खरीद क्रमशः 1310 रुपये और 1345 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। मेरी सरकार वहनीय कीमत पर अनिवार्य खाद्य मदों की उपलब्धता सुनिश्चित करके लोगों को राहत पहुंचाने में सफल रही है।

[श्री अध्यक्ष]

सहकारिता

31. मेरी सरकार समझती है कि हरियाणा जैसे राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में सहकारिता आन्दोलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए सहकारिता क्षेत्र की कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए गये हैं और पात्र लाभार्थियों को राहत दी गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्जदार सदस्यों को ब्याज राहत मुहैया करवाने के दृष्टिगत एकमुश्त निपटान वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 31 मार्च, 2013 तक के फसली ऋणों पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज राहत मुहैया करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2013 तक बकाया अतिदेय और 9 नवम्बर, 2013 तक बकाया मध्यम अवधि के कृषि तथा गैर–कृषि ऋणों पर सदस्यों को 50 प्रतिशत ब्याज राहत भी मुहैया करवाई जाएगी। इस योजना से उन कर्जदारों को राहत मिलेगी, जोकि 31 मार्च, 2013 के अनुसार उनके नियंत्रण से बाहर कारणों से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को अपने देय का भुगतान करने में असमर्थ थे। अब तक 5407 कर्जदारों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 27.68 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई है। हरियाणा राज्य कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के लिए भी वसूली से जुड़ी प्रोत्साहन योजना–2013 शुरू की गई। इस योजना के तहत यदि अतिदेय राशि वाले सभी पात्र कर्जदार इस योजना का लाभ उठाते हैं तो 50 प्रतिशत अतिदेय ब्याज माफ करने से 265.34 करोड़ रुपये के ब्याज का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब तक 7906 कर्जदारों ने इस योजना का लाभ उठाया है और 110.07 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गई है।

32. निजी उद्यमी गोदाम (पी.इ.जी.) योजना, 2008 के तहत हरियाणा में गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने हैफेड को एक नोडल एजेंसी घोषित किया है। इस योजना के तहत राज्य में 36.52 लाख मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण किया जाना है। 31 दिसम्बर, 2013 तक 19.33 लाख मीट्रिक टन गोदाम क्षमता सृजित की गई है और 11.64 लाख मीट्रिक टन क्षमता निर्माणाधीन है।

33. "मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना" के तहत राज्य सरकार ने जिला सहकारी दुग्ध संघों को दूध की आपूर्ति करने वाले हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों के लिए गर्मी के मौसम में दूध पर 4 रुपये प्रति लिटर का अनुदान स्वीकृत किया है। इस योजना के तहत 27 जून, 2013 से 30 सितम्बर, 2013 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 10.16 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। अगले दो वर्षों के दौरान भी अप्रैल से सितम्बर तक इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

34. महिलाओं के सशक्तिकरण और सहकारिता आंदोलन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रबन्धन समितियों में महिला सदस्यों का आरक्षण 1 से बढ़ाकर 2 करने के लिए हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 में संशोधन किया गया है।

सिंचाई

35. हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है, क्योंकि कुल जरूरत की तुलना में पानी की उपलब्धता आधे से भी कम है। यह समस्या रावी–व्यास नदियों में से अपना न्यायोचित हिस्सा न मिलने और बी.एम.एल.–हांसी ब्रांच–बुटाना ब्रांच बहुउद्देशीय लिंक चैनल के बी.एम.एल. से न जुड़ने के कारण और भी गंभीर हो जाती है। मेरी सरकार सतलुज–यमुना लिंक कैनाल के कार्य को पूरा करवाने और बी.एम.एल.–हांसी ब्रांच–बुटाना ब्रांच बहुउद्देशीय लिंक चैनल को जोड़ने के लिए मुस्तैदी से पैरवी कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हरियाणा को सभी अन्तर्राज्यीय नदी समझौतों से उसके हिस्से का पानी मिले।

36. मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि यमुना नदी पर भण्डारण बांध बनाने की परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है और लखवार एवं व्यासी परियोजनाओं का काम इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है। सरकार के सतत् प्रयासों से दूसरे दो बांधों अर्थात् किशाऊ और रेणुका की स्वीकृति मिलना अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर हरियाणा को यमुना नदी से पानी की कमी वाले मौसम में निरंतर पानी मिलेगा जब यमुना में जल का प्रवाह कम हो जाता है।

37. जल संरक्षण और उसका कुशल प्रबंधन मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके लिए नहरी तंत्र और खालों के सुधार का कार्य मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर हाथ में लिया है। विभाग ने अब तक 301 चैनलों के सुधार का कार्य पूरा किया है और इस वर्ष लगभग 102 करोड़ रुपये की लागत से 51 चैनलों के सुधार का कार्य पूरा किया गया है। इसी तरह अभी तक 2697 खालों का सुधार किया गया है और इस वर्ष 104 करोड़ रुपये की लागत से 167 खालों का सुधार किया गया है।

38. इस वर्ष 17 जून, 2013 को यमुना नदी में आठ लाख क्युसिक से अधिक पानी आने से हरियाणा को अप्रत्याशित बाढ़ का सामना करना पड़ा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस रिकार्ड बाढ़ के बावजूद जीवन और सम्पत्ति की कोई बड़ी हानि नहीं हुई और यमुना नदी के साथ बने बाढ़ बचाव ढांचे भी इस बाढ़ के प्रभाव को झेलने में सफल रहे। मेरी सरकार द्वारा समय पर निवारक कदम उठाने से यह संभव हो सका। चालू वित्त वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की 54 स्कीमों का कार्य पूरा किया जा चुका है और 84 पर काम चल रहा है। दिसम्बर, 2013 तक इन स्कीमों पर 78 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

बिजली

39. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने बिजली क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मेरी सरकार का उद्देश्य सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त और गुणवत्ता की बिजली प्रदान करना है। इसके लिए मेरी सरकार ने राज्य क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है।

40. वर्ष 2004–05 में 578 लाख यूनिट की तुलना में हम चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 1205 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। वर्ष 2012–13 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1,307 यूनिट रही जबकि वर्ष 2004–05 में यह 609

[श्री अध्यक्ष]

यूनिट थी। मेरी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा राज्य में उत्पादन क्षमता में 3712.80 मेगावाट की बढ़ोतरी की जा चुकी है। गत नौ वर्षों में 393 नये सब–स्टेशन स्थापित किये गये हैं, 740 वर्तमान सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 5613 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें डाली गई हैं। ये सभी राज्य के तीव्र विकास के सूचक हैं।

41. मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली उत्पादन परियोजनाएं समय पर पूरी हुई हैं। भारतीय आणविक ऊर्जा निगम द्वारा जिला फतेहाबाद के गोरखपुर में स्थापित किये जा रहे 2800 मेगावाट के अणु बिजली संयंत्र की स्थापना में सरकार सहायक है। इस परियोजना के प्रथम चरण में 700–700 मेगावाट की दो इकाइयां 2020–21 तक स्थापित करने का प्रस्ताव है। हाल ही में 13 जनवरी, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने 20594 करोड़ रुपये की इस प्रतिष्ठित परियोजना के पहली दो इकाइयों का शिलान्यास किया था। चालू वित्त वर्ष में हरियाणा बिजली उत्पादन निगम ने सहायक बिजली खपत, स्टेशन हीट रेट और विशिष्ट तेल खपत में क्रमशः 8.49 प्रतिशत, 2459 किलो कैलरी प्रति किलोवाट आवर और 0.85 मिलि लीटर प्रति किलोवाट आवर की उपलब्धि हासिल की, जोकि हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम के गठन से लेकर अब तक की न्यूनतम है।

42. मेरी सरकार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की पहल की है। बिजली की शिकायतों के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों में टोल फ्री नम्बर के साथ 24 घण्टे काम करने वाले केन्द्रीकृत काल सेंटर हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन लाइन पंजीकरण किया जा रहा है और एसएमएस के माध्यम से शिकायत पंजीकरण की सुविधा भी शुरू की गई है। नये औद्योगिक कनैक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्वचालित मीटर रीडिंग सेवा शुरू की है। सभी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

43. वितरण तंत्र के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए बिजली वितरण कंपनियों का अगले कुछ वर्षों में 3083 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव है ताकि सभी उपभोक्ताओं को निरंतर विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति हो सके। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी पद्धति पर बिजली आपूर्ति करके उन्हें कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

44. ऊर्जा संरक्षण सतत् विकास की कुंजी है। इसलिए मई, 2013 में जिला महेन्द्रगढ़ के खुरावता गांव में 60 करोड़ रुपये की कुल लागत से 9.9 मेगावाट की एक बायोमास परियोजना चालू की गई। इसी तरह की एक 9.5 मेगावाट की एक परियोजना जिला भिवानी में पूर्ण होने के अंतिम चरण में है और 12–12 मेगावाट की तीन परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। औद्योगिक कूड़े से सह–उत्पादन पद्धति पर बिजली उत्पादन की 34.11 मेगावाट क्षमता की 14 परियोजनाएं उद्योगों में स्थापित की गई हैं। सह–उत्पादन पद्धति से चीनी मिलों में खोई से बिजली उत्पादन करने की 60 मेगावाट की छः परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। नारायणगढ़ चीनी मिल में 25 मेगावाट की एक परियोजना स्थापित की जा रही है। राज्य

में स्वतंत्र बिजली उत्पादकों द्वारा 112 करोड़ रुपये की लागत से 10.8 मेगावाट क्षमता की चार लघु पन–बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इनके अलावा, 10.90 मेगावाट क्षमता की पांच लघु पन–बिजली परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

45. मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समान अवसर और ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। समाज के गरीब वर्गों के लोगों का अपना घर होने के सपने को साकार करने के लिए मेरी सरकार ने इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर 8.6.2013 को एक नई महत्वाकांक्षी सस्ती ग्रामीण आवास स्कीम 'प्रियदर्शनी आवास योजना' शुरू की है। इस स्कीम के तहत एक गरीब ग्रामीण परिवार को मकान बनाने और शौचालय सुविधाओं के लिए 90100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस परियोजना की दो वर्ष की अवधि में लगभग दो लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा और इस परियोजना की कुल लागत 1350 करोड़ रुपये है। अब तक एक लाख से अधिक लाभपात्रों की पहचान करके उनका पंजीकरण किया जा चुका है, 75000 से अधिक लाभपात्रों को पहली किस्त की अदायगी की जा चुकी है और लगभग 33000 लाभपात्रों को दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है।

46. पात्र अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'ए' और बीपीएल परिवारों को 100–100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट मुफ्त प्रदान करने के लिए 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना' राज्य सरकार का एक और प्रमुख कार्यक्रम है। हरियाणा की इस मार्गदर्शक स्कीम में गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है ताकि प्रत्येक परिवार को आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके और अब यह स्कीम दूसरे राज्यों द्वारा भी अपनाई जा रही है। 31 जनवरी, 2014 तक 3.83 लाख परिवारों को प्लाट दिये जा चुके हैं। जहां पर पंचायती भूमि उपलब्ध है वहां पर शेष पात्र परिवारों को प्लाट देने की प्रक्रिया चल रही है।

47. दिसम्बर, 2013 तक मनरेगा के तहत 251.05 करोड़ रुपये खर्च करके 78.50 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है, इनमें से 39.11 लाख मानव दिवस अनुसूचित जातियों के लिए और 32.89 लाख मानव दिवस महिलाओं के लिए सृजित किये गये हैं। निर्मल भारत अभियान के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि का दायरा बीपीएल परिवारों से बढ़ाकर चिन्हित एपीएल परिवारों तक कर दिया गया है।

48. गांवों में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा 10,300 सफाई कर्मचारी लगाये गये हैं। इन सफाई कर्मचारियों के मानदेय का खर्च वहन करने के लिए राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। राज्य सरकार ने 1.1.2014 से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय 4848 रुपये मासिक से बढ़ाकर 8100 रुपये मासिक कर दिया है और यह सीधे उनके बैंक खाते के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 1.4.2013 से शुरू किया गया है और इस स्कीम के तहत 27.04 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

शिक्षा

49. माननीय सभासदो ! लोगों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना सरकार का प्रयास रहा है। इस संबंध में वर्ष 2013–14 में 100 नये विद्यालयों को नेशनल वोकेशनल एजुकेशन

[श्री अध्यक्ष]

क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कीम में शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत लगभग 4900 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है। हमने शैक्षणिक रूप से पिछड़े 36 खंडों में कार्यात्मक कम्प्यूटर लैब सहित आरोही मॉडल विद्यालय खोले हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के तहत 3122 राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर अध्यापकों का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 28.59 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं। वर्ष 2013–14 में झज्जर में अध्यापक शिक्षा का चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने के लिए 'प्रारंभ' नामक एक राज्य स्तरीय स्कूल की स्थापना और छः किसान स्कूल संचालित करना एक और महत्वपूर्ण कदम है। राज्य के हर जिले में एक किसान स्कूल खोलने की योजना है। सरकार राज्य के 15008 विद्यालयों में दोहरे डैस्क फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसके लिए अपेक्षित प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार ने 14216 पीजीटी पदों और 9870 जेबीटी पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की हुई है और सभी 201 सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 2000 शिक्षकों और 700 गैर शिक्षक अमले को सरकार के अधीन लेने का प्रस्ताव भी है। प्रदेश के अनुसूचित जातियों के 12.30 लाख स्कूली विद्यार्थियों के लाभ के लिए एकमुश्त नकद राशि स्कीम और मासिक वजीफा स्कीमों के तहत वर्ष 2013–14 के लिए क्रमशः 146 करोड़ रुपये और 312 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। पिछड़े वर्ग–'ए' और बीपीएल विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 168 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

50. महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'मिड–डे–मील स्कीम' में विद्यार्थियों में निजी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और तैयार भोजन में गुणवत्ता सुधार की दिशा में अनूठी पहल की गई है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 'कक्षा तैयारी कार्यक्रम' जैसा नया प्रयास शुरू किया गया है, जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य में पहली बार हर विद्यार्थी को 'शिक्षा सेतु कार्ड' प्रदान किये जा रहे हैं। यह कार्ड अभिभावकों के लिए एक सूचना उपकरण है, जिसमें बच्चे की वित्तीय और शैक्षणिक पात्रता दी जाती है। 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत मुफ्त पाठ्य–पुस्तकें और स्कूल की वर्दी देने के लिए क्रमशः 38.87 करोड़ रुपये और 62.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 20.70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के तहत वर्ष 2013–14 में 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं।

51. हाल ही के वर्षों में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और यह रुझान आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है। उच्चतर शिक्षा में क्षमता के विस्तार के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2013–14 में सरकार ने सात नये राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें आर्ट्स और कॉमर्स संकाय हैं। इनमें से छः महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं। 20 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय शुरू किया गया है। इनमें से 14 महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

52. मीरपुर के स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और इसका नाम इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर रखा गया है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों

में निर्माण कार्यों के लिए 122 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2013–14 में 11 निजी डिग्री कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं और 30 महाविद्यालयों को नये विषय शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के 1396 पद भरने की और राजकीय सहायता प्राप्त गैर–सरकारी महाविद्यालयों में गैर–शिक्षण अमले के 385 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे शिक्षक छात्र अनुपात में समुचित सुधार होगा।

53. मेरी सरकार का ध्यान इस बात पर रहेगा कि युवाओं को अधिक से अधिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें और अधिक रोजगार सक्षम बनाया जाए। वर्ष 2004–05 में केवल 161 तकनीकी संस्थान थे और इनमें विद्यार्थियों की वार्षिक प्रवेश की क्षमता 28445 थी। शैक्षणिक सत्र 2013–14 से तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 639 और विद्यार्थियों की कुल प्रवेश क्षमता लगभग 144165 हो गई है।

54. राज्य में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित हो रहे हैं। सोनीपत में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में आईआईटी दिल्ली का विस्तार परिसर (फैकल्टी डेवलपमेंट) और झज्जर में आईआईटी दिल्ली का विस्तार परिसर (अनुसंधान एवं विकास) के इस वर्ष नींव पत्थर रखे जा चुके हैं। पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा 10 एकड़ मुफ्त जमीन और 100 करोड़ रुपये की सहायता दी जा रही है।

खेल

55. हरियाणा देश के खेल जगत में निरंतर अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य के खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों, जिनमें पैरालिम्पिक्स खिलाड़ी भी शामिल हैं, को सरकारी नौकरी देने की एक नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को प्रथम श्रेणी की नौकरी तथा रजत और कांस्य पदक विजेताओं, एशियाई खेलों और राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को द्वितीय श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वालों तथा एशियाई और राष्ट्रमण्डल खेलों में रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। नई नौकरी नीति के तहत अब तक 11 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है।

56. ओलम्पिक खेलों के लिए नकद पुरस्कार राशि की दर दोगुनी कर दी गई है। ओलम्पिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को पांच करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को तीन करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को दो करोड़ रुपये दिये जाएंगे। अर्जुन अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी और भीम अवार्डी की नकद पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई है।

57. सरकार ने विश्व स्तर की भावी खेल सुविधाएं विकसित करनी शुरू कर दी हैं। महम में 100 बिस्तरों का खेल होस्टल, किलोई (रोहतक) में बास्केट बॉल अकादमी, दरियापुर (फतेहाबाद) में आर्टिफिशियल फुटबॉल सरफेस सहित फुटबॉल अकादमी, भोडियाखेड़ा (फतेहाबाद) में बहुउद्देशीय हाल, भीम स्टेडियम (भिवानी), जीवननगर (सिरसा) और हिसार के हॉकी मैदानों में एस्ट्रोटर्फ बिछाकर प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

[श्री अध्यक्ष]

58. सरकार ने हरियाणा के ओलम्पिक पदक विजेताओं द्वारा विभिन्न खेलों में विश्व स्तर की खेल अकादमियां बनाने की एक नीति बनाई है। पहलवान श्री सुशील कुमार और पहलवान श्री योगेश्वर दत्त को कुश्ती अकादमियां स्थापित करने और मुक्केबाज श्री विजेन्द्र सिंह को मुक्केबाजी अकादमी स्थापित करने के लिए भूमि दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग

59. सस्ती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 'मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना' पहली जनवरी, 2014 से शुरू की गई है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिसमें आम आदमी के लिए उपचार से सम्बंधित सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। सभी द्वितीयक स्तर की सर्जरी चिकित्सा, आवश्यक दवाइयां, बुनियादी प्रयोगशाला जांच, इण्डोर उपचार और रैफरल परिवहन सेवाएं मुफ्त प्रदान की गई हैं। इस स्कीम पर 261 करोड़ रुपये खर्च होंगे, मेडिकल कॉलेजों सहित यह स्कीम सभी स्वास्थ्य संस्थानों में लागू होगी और इससे ओपीडी में आने वाले लगभग 1.75 करोड़ मरीज और एक लाख सर्जरी मरीज लाभांवित होंगे। इस स्कीम से आम आदमी का खर्च कम होगा और यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक कदम है।

60. मरीजों को समयबद्ध तरीके से दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए नई औषध नीति के तहत दवाइयों की खरीद और वितरण की एक केन्द्रीयकृत पद्धति इस वर्ष स्थापित की गई है। सात औषध गोदाम स्थापित किये गये हैं और औषधियों के मांग पत्र, खरीद और वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। औषधियों, उपकरणों और विशेषज्ञ अस्पताल सेवाओं की खरीद में दक्षता लाने के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम का गठन किया जा रहा है। राज्य में वर्ष 2013–14 में शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया है और 11 शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं और वर्ष 2014–15 में इनकी संख्या बढ़ाकर 26 की जाएगी।

61. राज्य में कैंसर के मरीजों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की गई है। झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3 जनवरी, 2014 को किया गया। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को तृतीयक कैंसर देखभाल केन्द्र के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2014–15 में राज्य में एक कैंसर एटलस और एक रजिस्ट्री शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

62. मेरी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। खानपुर कलां और नल्हड़ (मेवात) के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पहले ही हो चुका है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। सरकार ने चार चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किये हैं, जिनमें से तीन निजी क्षेत्र के इसराना (पानीपत), कैथल और कण्डेला (जींद) में हैं तथा एक ईएसआई का फरीदाबाद में है।

63. मेरी सरकार का जिला रिवाड़ी के गांव माजरा श्योराज में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति पर एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। ग्राम पंचायत

ने सरकार को 27 एकड़ भूमि 99 साल के पट्टे पर दी है। खुली निविदा के माध्यम से निजी पार्टियों को आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित नियम और शर्तें तय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कारोबार सलाहकार नियुक्त किया गया है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

64. माननीय सभासदो ! मेरी सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को समुचित स्वस्थ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के महत्व को समझा है। इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों के 10.36 लाख परिवारों को मुफ्त पानी के कनैक्शन और 200 लीटर की टंकियां दी जानी हैं। इस स्कीम का 10.16 लाख अनुसूचित जातियों के परिवारों को लाभ हो चुका है। शेष परिवारों को भी मार्च, 2014 तक यह सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावना है।

65. पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल बढ़ोतरी और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ऋण की व्यवस्था की गई है। जिला महेन्द्रगढ़ के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सतत् पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 118 गांवों और 34 ढाणियों के लिए 220.14 करोड़ की अनुमोदित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

66. इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जिला रिवाड़ी के 42 गांवों में पेयजल बढ़ोतरी के लिए 100.47 करोड़ रुपये की अनुमोदित परियोजना का कार्य प्रगति पर है। दिसम्बर, 2013 तक नाबार्ड की चल रही सभी परियोजनाओं पर 189.42 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

67. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 17 कस्बों में 913.84 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल और सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत हरियाणा के 14 कस्बों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज की शत-प्रतिशत सुविधाओं के लिए वर्ष 2010 में एक प्रोजैक्ट शुरू किया गया है। प्रथम चरण में इसकी लागत 1085.20 करोड़ रुपये है। यह परियोजना दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण होनी है। इसके अलावा, अम्बाला शहर और भिवानी कस्बे (चरण-IV) में पेयजल और सीवरेज सुविधाओं के विस्तार हेतु 328.14 करोड़ रुपये की लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई है। 13वें वित्त आयोग के तहत शिवालिक क्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा में 300 करोड़ रुपये लागत की पेयजल बढ़ोतरी की 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

68. पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से छः नलकूपों तक की एकल गांव पेयजल स्कीम के पेयजल और रखरखाव का कार्य पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जा रहा है। 1775 आबादियों के 3661 नलकूप पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जा चुके हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

69. सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गों के कल्याण व उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार वृद्धों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, निशक्तों,

[श्री अध्यक्ष]

किन्नरों, बौनों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और एक लड़की वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सी स्कीमें चला रही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई विभिन्न स्कीमों का इस समय 23 लाख से भी अधिक व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। पहली जनवरी, 2014 से वृद्धावस्था सम्मान पैंशन, विधवा पैंशन और निशक्तजनों की पैंशन बढ़ाई गई है। वृद्धावस्था सम्मान पैंशन, जो 500 रुपये, 650 रुपये और 750 रुपये मासिक दी जा रही थी, उसे बढ़ाकर एक समान 1000 रुपये मासिक कर दिया गया है। इसी तरह विधवा पैंशन और 70 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्तजनों की पैंशन भी 750 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक कर दी गई है। बेसहारा बच्चों की आर्थिक सहायता 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये मासिक कर दी गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न पैंशन स्कीमों पर 1688 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

70. हरियाणा के अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने का सरकार ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है। अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिसूचित किया गया है। विधवाओं, अनाथ और बेसहारा लाभपात्रों की लड़कियों की शादी पर वित्तीय सहायता देने के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना नामक एक स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, अनाधिसूचित कबीलों, टपरीवास जातियों और समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को 31000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के दूसरे वर्गों के लोगों को 11000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

महिला एवं बाल विकास

71. राज्य सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित और संरक्षित माहौल प्रदान करने और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनकी समाज के विकास में स्वस्थ और समान भागीदारी हो। समेकित बाल विकास सेवाएं स्कीम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह 148 समेकित बाल विकास सेवाएं परियोजनाओं और 25962 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है और इससे 11.00 लाख बच्चे और 3.27 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं लाभांवित हो रही हैं।

72. समेकित बाल विकास सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 1.1.2014 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये मासिक, लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3250 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये मासिक और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये मासिक कर दिया गया है। यह मानदेय देशभर में सर्वाधिक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। करनाल में तीन करोड़ रुपये की लागत से 50 बच्चों की क्षमता का एक नया निरीक्षण गृह निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव में 50–50 बिस्तरों की क्षमता वाले नये बाल गृहों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

श्रम कल्याण

73. राज्य में औद्योगिक शांति और सद्भावना कायम रखना और श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड और हरियाणा भवन और दूसरे निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे कि कन्यादान, वजीफे, भ्रमण दौरे, धार्मिक यात्रा, चश्मे, दुर्घटना में वित्तीय सहायता, विधवाओं को वित्तीय सहायता, साइकिल, कम्प्यूटर शिक्षा, मातृत्व, दाह संस्कार, वर्दी, दांतों की देखभाल, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, तिपहिया साइकिल, सिलाई मशीन और एलटीसी आदि। 14709 लाभपात्रों को यह लाभ देने के लिए वर्ष 2013–14 में 31.12.2013 तक 12.88 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

74. पहली जनवरी, 2014 से 'मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना' नामक एक अनूठी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत कार्य के दौरान श्रमिक की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा और विकलांग होने के मामले में 50000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड और हरियाणा भवन और दूसरे निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड इस स्कीम को 1.1.2014 से लागू करेंगें।

उद्योग एवं वाणिज्य

75 माननीय सभासदो ! हमारा राज्य निवेशकों के लिए निरन्तर पहली पसंद बना हुआ है। हरियाणा प्रतिबद्ध निवेश के क्रियान्वयन की दर के मामले में देशभर में अपनी बढ़त को कायम रखे हुये है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता के बावजूद वर्ष 2005 से राज्य में 64000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। कुछ नए निवेश प्रस्तावों में योकाहामा (965 करोड़ रुपये), हीरो स्टील्स ग्रुप (325.00 करोड़ रुपये), एसीन ऑटोमोटिव हरियाणा (383.36 करोड़ रुपये), कोयो बियरिंग्स इण्डिया लि0 (448 करोड़ रुपये), लोटे इण्डिया कारपोरेशन (300 करोड़ रुपये) तथा कई और प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य में अभी तक 13129 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें से 9629 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक नीति, 2005 के क्रियान्वित होने के बाद हुआ है। राज्य से कुल निर्यात वर्ष 2011–12 के 54991 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 59806 करोड़ रुपये हो गया, जोकि 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

76 औद्योगिक विकास से रोजगार सजित होता है, इसलिए हमारे युवाओं के लिए उचित कौशल विकास उपायों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने आईएमटी, रोहतक तथा औद्योगिक विकास केन्द्र, साहा में 100–100 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश से टूल रूम और प्रौद्योगिकी केन्द्रों की दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। प्रत्येक प्रौद्योगिकी केन्द्र से हर वर्ष लगभग 10000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण मिलने की संभावना है।

77 राज्य में नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप्स और औद्योगिक पार्कों के विकास और वर्तमान औद्योगिक सम्पदाओं के विस्तार के माध्यम से औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने आईएमटी रोज का मेव, मेवात में एक मेगा लैदर पार्क की स्थापना के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिल्ली–मुम्बई

[श्री अध्यक्ष]

औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की कई नई योजनाएं भी बनाई गई हैं, जिनके लिए एचएसआईआईडीसी नोडल एजेंसी है। इन परियोजनाओं से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के अवसर खुलने की सम्भावना है।

खान एवं भू–विज्ञान

78 खान एवं भू–विज्ञान विभाग ने दिसम्बर, 2013 के दौरान अपनी 42 लघु खनिज खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की, जिससे 2133.93 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वार्षिक बोली राशि प्राप्त हुई। बहरहाल, खनन गतिविधियों की वास्तविक शुरुआत में खनन कार्य आरम्भ होने से पहले पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया के कारण कुछ समय लग सकता है।

इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी

79 विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों में 100 से अधिक नागरिक सेवाओं की पहचान की गई है, जिनमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए समयबद्ध तरीके से इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली में सेवाएं प्रदान की जायेंगी। नागरिकों को परेशानी मुक्त नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए गांव/शहरी स्तर के उद्यमी के माध्यम से संचालित एक व्यापार अभिसरण मॉडल का अनुसरण करते हुए राज्य में सांझा सेवा केन्द्र का एक नैटवर्क स्थापित करने की योजना है।

शहरी विकास

80 राज्य की लगभग 35 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। गत दशक के दौरान राज्य में शहरीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मेरी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में सुधार लाने और नागरिकों को प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। अविकसित नगरपालिका क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा नागरिक सुविधाएं और इन्फ्रास्टक्चर की कमी वाले पालिका क्षेत्र प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2013 के तहत अब तक 875 कॉलोनियां अधिसूचित की गई है। सम्पत्ति कर की दरों को सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। स्ट्रीट वैंडिंग गतिविधियों को विनियमित बनाने और सड़क विक्रेताओं की आजीविका की रक्षा के लिए हरियाणा नगरपालिका सड़क विक्रेता (सड़क विक्रेताओं की रक्षा और स्ट्रीट वैंडिंग के विनियमन) अध्यादेश 2013 जारी किया गया है। मेरी सरकार ने आग, बाढ़, भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए छोटे दुकानदारों, रेहड़ीवालों, फेरीवालों, खोखे के मालिकों को 5 लाख रुपये तक मुआवजा देने के लिए एक नई योजना भी शुरू की है।

81 समाज के कमजोर वर्गों को रिहायशी इकाइयां उपलब्ध करवाने और अम्बाला, यमुनानगर, रोहतक, हिसार और सिरसा के मलिन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए 373 करोड़ रुपये से अधिक की भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना के तहत पांच परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

82 राज्य की नगरपालिकाओं में आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें दिया जाने वाला मासिक वेतन 1 जनवरी, 2014 से बढ़ाकर 8100 रुपये किया गया है।

83 अनुमानित 564 करोड़ रुपये की लागत से वाईएमसीए चौक से बल्लभगढ़, जोकि 3 किलोमीटर है, तक मैट्रो के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है। मुण्डका से सिटी पार्क बहादुरगढ़ तक दिल्ली मैट्रो के विस्तार को 2 फरवरी, 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी कुल लम्बाई 11.182 किलोमीटर और लागत 1991 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार मार्च 2016 तक परियोजना अवधि के दौरान 787.96 करोड़ रुपये का योगदान देगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स (आर आर टी एस) कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 कॉरिडोर हरियाणा के शामिल हैं। इन तीन कॉरिडोरों में से 2 कॉरिडोर नामतः दिल्ली–गुड़गांव–रिवाड़ी–अलवर (कुल 180 किलोमीटर, जिसमें से 78 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है) और दिल्ली–सोनीपत–पानीपत (कुल 111 किलोमीटर, जिसमें से 88.7 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है), को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है।

84 भिवानी, महेन्द्रगढ, जीन्द और करनाल जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने की स्वीकृति मिल गई है। इससे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा का कुल क्षेत्र 25327 वर्ग किलोमीटर अर्थात राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 57.29 प्रतिशत हो जाएगा।

85 विशेष समय–सीमा और प्रक्रिया द्वारा ईडब्ल्यूएस आवास की वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सक्रिय उपाय किए गए हैं। मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से राज्य की शहरी आबादी को सस्ती (वहनीय) दरों पर आवास उपलब्ध करवाने की मंशा से सस्ती आवास नीति–2013 शुरू की है। यह नीति नीजि क्षेत्र की पूंजी निवेश की क्षमता का लाभ उठाने और लाईसैंस फीस एवं आधारभूत संरचना विकास शुल्कों से छूट के रूप में अनेक प्रोत्साहन प्रदान करके सस्ती आवास परियोजनाओं के विकास के लिए और सामान्य समूह आवास परियोजनाओं में 1.75 के विरूद्ध 2.25 पर उच्चतर एफ.ए.आर. देने, सामान्य समूह आवास परियोजनाओं इत्यादि में 35 प्रतिशत के बदले 50 प्रतिशत उच्चतर ग्राऊंड कवरेज देने की मंशा से शुरू की गई है। दिनांक 17.2.2014 तक गुड़गांव, फरीदाबाद, रिवाड़ी और पलवल जिलों में सरकार द्वारा 146.5 एकड़ के 23 मामलों में सस्ती ग्रुप हाऊसिंग के लाइसैंस प्रदान किए गए हैं, जिसमें लगभग 25,600 सस्ते घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 50,000 सस्ते घरों का निर्माण प्रस्तावित है।

आवास

86 माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने निम्न और मध्यम आय वर्गों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने की चुनौती को स्वीकारा है। इसलिए, सरकार की शहरी क्षेत्रों में दो वर्षों में आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य वर्गों के लिए 1.50 लाख घरों का निर्माण करने की मंशा है। 32000 घरों के निर्माण के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

सड़कें

87 सड़कें हमारे राज्य की जीवन रेखा है। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में राज्य में राजमार्गों के उन्नयन के लिए परियोजनाएं शुरू की गई है। वर्ष 2013–14 के दौरान,

[श्री अध्यक्ष]

30.11.2013 तक विभिन्न योजनाओं के तहत 2672 कि.मी. सड़कों के सुधार के लिए 1823 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त सड़कों के सुधार और निर्माण के लिए 4438 करोड़ रुपये के कार्यों को हाथ में लिया गया है। सरकार द्वारा नए पुलों के निर्माण और मौजूदा पुलों के जीर्णोद्धार के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1966 से लेकर 2005 तक केवल 16 उपरगामी पुलों का निर्माण किया गया था, जबकि पिछले 9 वर्षों के दौरान 1149 करोड़ रुपये की लागत से 42 रेलवे उपरगामी पुलों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में 952 करोड़ रुपये की लागत से 31 रेलवे उपरगामी पुलों का कार्य प्रगति पर है।

पर्यटन

88 हरियाणा पर्यटन प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सूरजकुण्ड हस्तशिल्प मेले और पिंजौर धरोहर उत्सव का आयोजन करता है, जिसमें लाखों घरेलू एवं विदेशी पर्यटक भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली में पर्यटन और होटल परियोजनाओं के विकास के लिए एक व्यापक पट्टा नीति बनाई गई है, जिसके तहत सरकारी भूमि अल्पावधि (11 वर्ष तक) और दीर्घावधि (33 वर्ष तक) पट्टे पर दी जा सकती है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की पहचान की है और ऐसी परियोजनाएं नामतः तिलियार लेक रोहतक में, मनोरंजन पार्क दमदमा में, शिविर स्थल सूरजकुण्ड में नेचर पार्क और महेन्द्रगढ़ में हैरिटेज होटल का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पर्यावरण

89 माननीय सभासदो ! राज्य के जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए हरियाणा जैव–विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड राज्य के जैविक संसाधनों के दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण में मदद करेगा। यह हितधारकों में हरियाणा के जैविक संसाधनों के बारे ज्ञान सांझा करने में भी मदद करेगा। विभिन्न सरकारी विभागों से परामर्श करने उपरान्त जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य कार्य योजना तैयार की गई है। पर्यावरण से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में विभिन्न हितधारकों का योग्यता स्तर बढ़ाने के लिए सरकार की आईएमटी, मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है।

रक्षा कार्मिकों का कल्याण

90 मेरी सरकार ने देश की सुरक्षा में हरियाणा राज्य के बहादुर सिपाहियों द्वारा की गई सेवा और दिए गए बलिदानों के सम्मान में शौर्य पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त नकद पुरस्कार और वार्षिकी के भुगतान की नीति तैयार की है। राज्य सरकार ने अनुकम्पा आधार पर रक्षा बलों के कर्मियों के शहीदों के एक आश्रित को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने सेवारत एवं भूतपूर्व सुरक्षाकर्मियों तथा अर्द्ध–सैनिक बलों के लिए भी लगभग 50,000 मकानों का निर्माण सस्ती एवं वहनीय दरों पर करने का निर्णय लिया है। 13696 मकानों के निर्माण के लिए इस योजना का पहला चरण शुरू किया जा चुका है।

कराधान

91 मेरी सरकार ने कर ढांचें को तर्कसंगत और प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया है। कैन्टीनों द्वारा सेवारत तथा सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को बेची जाने वाली वस्तुओं पर वैट पांच प्रतिशत से कम करके चार प्रतिशत करके रियायत दी गई है। ऐसी ही छूट केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के कर्मियों को भी दी गई है। इसी प्रकार, डीलरों को अतिरिक्त कर के रिफण्ड देने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और विकेन्द्रित किया गया है। नॉन ए.सी. निजी स्कूल बसों को यात्री कर की छूट दी गई है। विभाग ने वैट डी–3 चालान, जोकि एसटी–38 फार्म के रूप में लोकप्रिय है, को भी समाप्त कर दिया है। यह कदम राज्य को और अधिक व्यापार अनुकूल बनाएगा तथा इंस्पेक्टर राज के बारे में शिकायतों को कम करेगा।

कानून एवं व्यवस्था

92. कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में मेरी सरकार का रिकॉर्ड निस्संदेह प्रशंसनीय हैं। हरियाणा राज्य में वर्ष 2013 के दौरान और उसके बाद अपराध की स्थिति नियन्त्रण में रही। मेरी सरकार महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों से सम्बन्धित मामलों के प्रति विशेष रूप से सचेत है। महिलाओं और बच्चों की शिकायतों के निपटान के लिये सभी पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस कर्मचारियों की अध्यक्षता में महिला एवं बाल डैस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इससे ऐसे मामलों की शीघ्र एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी को पुलिस मुख्यालय पर कार्य सौंपा गया है। इसी प्रकार, सभी जिलों में डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अनुसूचित जाति के समुदाय के सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिये प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अनुसूचित जाति के एक गैर राजपत्रित अधिकारी स्तर के अधिकारी को नामित किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस बल की दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा देश के उन कुछ राज्यों में से एक है, जिसने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना के तहत उपलब्ध करवाई गई राशि का तत्काल एवं अधिकतम उपयोग किया है।

93. माननीय सभासदो, मैंने पिछले साल में हुई प्रगति में से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उजागर करने के साथ–साथ आगामी वर्ष के लिये मेरी सरकार की कुछ योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है। राज्य सरकार का ध्यान केवल राज्य के सभी भागों के विकास की तरफ ही नहीं गया अपितु हमारे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विकास की तरफ भी गया है। मुझे विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य मेरी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में पूरी तरह भाग लेंगे ताकि हम लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें और राज्य सभी के विकास के लक्ष्य तक पहुंचने के अपने प्रयास में सुदृढ़ से और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

जय हिन्द !

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Hon'ble Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान हमारे बीच में से बहुत सारी विभूतियां, जिनमें राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी, बड़े–बड़े महानुभाव और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक शामिल हैं वे हमें छोड़कर चले गए हैं। वे जिस रिक्ति को छोड़कर गए हैं उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सदन की ओर से यह शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ:–

श्री शीश राम ओला, केन्द्रीय मंत्री

यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्री शीश राम ओला के 16 दिसम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 30 जुलाई, 1927 को हुआ। वे 1957 से 1990 तथा 1993 से 1996 तक आठ बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा 1980–90 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें राजस्थान मंत्रिमण्डल में रहते हुए पंचायती राज, ग्रामीण विकास, वन एवं पर्यावरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई, परिवहन, सहकारिता, आबकारी तथा सैनिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ।

वे 1996, 1998, 1999, 2004 तथा 2009 में पांच बार लोक सभा के सदस्य चुने गये। वे 1996–98 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा 2004–09 के दौरान व 17 जून, 2013 से अपने निधन के समय तक केन्द्रीय मंत्री रहे। उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रहते हुए रसायन एवं उर्वरक, जल संसाधन, श्रम एवं रोजगार तथा खान जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्भालने का गौरव हासिल हुआ। उन्हें 1968 में समाज सेवा के लिए पदमश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती शांति देवी राठी, हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री श्रीमती शांति देवी राठी के 4 फरवरी, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 जनवरी, 1935 को हुआ। वे 1977 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गई। वे 1979–81 के दौरान मुख्य संसदीय सचिव तथा 1981–82 के दौरान राज्य मंत्री रही। वे 1991–96 के दौरान केबिनेट मंत्री भी रही। वे कई अध्यापक संघों से जुड़ी रही।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी चंदा सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री चौधरी चंदा सिंह के 31 दिसम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 21 अक्तूबर, 1928 को हुआ। वे 1968 तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1982–86 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा, हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव चौधरी हरस्वरूप बूरा के 28 जनवरी, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 मार्च, 1942 को हुआ। वे 1975 तथा 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1978 के दौरान संसदीय सचिव भी रहे। वे समाज के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार हरनाम सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार हरनाम सिंह के 19 नवम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली अप्रैल, 1927 को हुआ। वे 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने जीवनपर्यन्त श्रमिकों को संगठित करने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री गुगनराम, गांव ढाणी ढोला, जिला भिवानी।
2. श्री लाल चंद, गांव धुड़साल, जिला हिसार।
3. श्री धर्मपाल सिंह, गांव जुगलान, जिला हिसार।
4. श्री पूर्ण सिंह, गांव खेड़की, जिला गुड़गांव।
5. श्री बंसी लाल, अम्बाला शहर, अम्बाला।
6. श्री रति राम, गांव चांग, जिला भिवानी।
7. श्री दीपचंद, गांव सुनारियां खुर्द, जिला रोहतक।
8. श्री भागीरथ प्रसाद, नारनौल, महेन्द्रगढ़।
9. श्री राजा राम, गांव कुब्जानगर, जिला भिवानी।
10. श्री रघुबीर सिंह, गांव खातीवास, जिला झज्जर।

यह सदन इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों को शत–शत नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कर्नल अजीत सिंह, गांव जयश्री, जिला भिवानी।
2. उप निरीक्षक प्रसादा राम, गांव नाउदी, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव नया गांव, जिला झज्जर।
4. सूबेदार धर्मेश, गांव खेड़ी बत्तर, जिला भिवानी।
5. सूबेदार राजपाल सिंह, गांव बागड़ू खुर्द, जिला जींद।
6. सूबेदार कंवरपाल सिंह, गांव भोंडसी, जिला गुड़गांव।

7. सूबेदार महेश कुमार, गांव धामडौज, जिला गुड़गांव।
8. हवलदार होशियार सिंह, गांव जाटूसाना, जिला रेवाड़ी।
9. हवलदार रोहताश, गांव महराना, जिला झज्जर।
10. हवलदार हेमंत शर्मा, इंद्री, जिला करनाल।
11. हवलदार राजेश कुमार, गांव पिंजौरा, जिला यमुनानगर।
12. हवलदार बेदपाल, गांव भुगांरका, जिला महेन्द्रगढ़।
13. नायक रविन्द्र कुमार, गांव गुगलों, जिला यमुनानगर।
14. सिपाही सुरेश कुमार, गांव डालनवास, जिला महेन्द्रगढ़।
15. सिपाही राजेन्द्र सिंह, गांव चंदपुरा, जिला महेन्द्रगढ़।
16. सिपाही जगतपाल, गांव चूली बागड़ियान, जिला हिसार।
17. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव पेटवाड़, जिला हिसार।
18. सिपाही अनिल कुमार, महेन्द्रगढ़।
19. सिपाही अमित कुमार, गांव बांगरोड़, जिला भिवानी।
20. सिपाही रणधीर सिंह, गांव ख्वाजा अहमदपुर, जिला करनाल।
21. सिपाही अमित, गांव किशनगढ़, जिला रोहतक।
22. सिपाही मदन लाल, गांव माण्डीकलां, जिला जींद।

यह सदन इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

परिवहन मंत्री श्री आफताब अहमद की नानी, **श्रीमती नूरनिशा;**

विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून की माता, **श्रीमती भगवानी देवी;**

पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के भाई, **श्री आदराम नेहरा;**

पूर्व मंत्री श्री हर्ष कुमार के पिता, **श्री राजेन्द्र सिंह;** तथा

पूर्व विधायक श्री हरि राम के पुत्र, **श्री सतीश कुमार;**

पूर्व मंत्री श्री बलवंत राय तायल की पत्नी **श्रीमति लक्ष्मी देवी तायल;**

के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव हमारे कई नेता, स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के शहीद और कुछ हमारे साथियों के रिश्तेदारों के बारे में रखा है, मैं भी उनको अपनी और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। श्री शीश राम ओला बहुत वरिष्ठ नेता थे और वे केन्द्रीय मंत्री भी रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 8 बार एम.एल.ए. और 5 बार लोक सभा के सदस्य चुने गये। उनके जाने से एक अनुभवी राजनेता की सेवाओं से हमारा देश वंचित हो गया है। मैं अपनी व अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से मैं हरियाणा की पूर्व मंत्री श्रीमती शांति राठी, हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी चंदा सिंह जी, हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव चौधरी हरस्वरूप बूरा के प्रति भी अपनी व अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार से मैं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सरदार हरनाम सिंह के 19 नवम्बर, 2013 को हुए दुःखद निधन पर अपनी व अपने दल की तरफ से गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनके साथ हमें भी इसी सदन में काम करने का मौका मिला। वे एक बहुत ही मेहनती इंसान थे और गरीब आदमियों के लिए हमेशा काम करते थे और इसके साथ-साथ सरदार हरनाम सिंह ने जिस बहादुरी से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनके घर में हमला हुआ और उनके बेटे की हत्या हो गई परंतु इसके बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आज वे हमारे बीच में नहीं जिसके कारण राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी व अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से मैं अपनी व अपने दल की तरफ से उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मुझे लगता है कि वे धीरे-धीरे हमारे बीच से बहुत कम होते जा रहे हैं। सदन के नेता ने जिस प्रकार से उनके नाम लिये वे हैं :-

1. श्री गुगनराम, गांव ढाणी ढोला, जिला भिवानी।
2. श्री लाल चंद, गांव घुड़साल, जिला हिसार।
3. श्री धर्मपाल सिंह, गांव जुगलान, जिला हिसार।
4. श्री पूर्ण सिंह, गांव खेड़की, जिला गुड़गांव।
5. श्री बंसी लाल, अम्बाला शहर, अम्बाला।
6. श्री रति राम, गांव चांग, जिला भिवानी।
7. श्री दीपचंद, गांव सुनारियां खुर्द, जिला रोहतक।
8. श्री भागीरथ प्रसाद, नारनौल, महेन्द्रगढ़।
9. श्री राजा राम, गांव कुब्जानगर, जिला भिवानी।
10. श्री रघुबीर सिंह, गांव खातीवास, जिला झज्जर।

मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।

इसी प्रकार से मैं हरियाणा के उन वीर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हम ये बात बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि देश की रक्षा करने वाले जवानों में हमारे हरियाणा प्रदेश के जवान सबसे ज्यादा हैं। जिस प्रकार से सदन के नेता ने इन महान वीर सैनिकों के नाम पढ़े वे इस प्रकार से हैं:-

1. कर्नल अजीत सिंह, गांव जयश्री, जिला भिवानी।
2. उप निरीक्षक प्रसादा राम, गांव नाउदी, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार, गांव नया गांव, जिला झज्जर।
4. सूबेदार धर्मेश, गांव खेड़ी बतर, जिला भिवानी।
5. सूबेदार राजपाल सिंह, गांव बागड़ू खुर्द, जिला जींद।
6. सूबेदार कंवरपाल सिंह, गांव भोंडसी, जिला गुड़गांव।
7. सूबेदार महेश कुमार, गांव धामडौज, जिला गुड़गांव।
8. हवलदार होशियार सिंह, गांव जाटूसाना, जिला रेवाड़ी।
9. हवलदार रोहताश, गांव महराना, जिला झज्जर।
10. हवलदार हेमंत शर्मा, इंद्री, जिला करनाल।
11. हवलदार राजेश कुमार, गांव पिंजौरा, जिला यमुनानगर।
12. हवलदार वेदपाल, गांव भुगारका, जिला महेन्द्रगढ़।
13. नायक रविन्द्र कुमार, गांव गुगलों, जिला यमुनानगर।
14. सिपाही सुरेश कुमार, गांव डालनवास, जिला महेन्द्रगढ़।
15. सिपाही राजेन्द्र सिंह, गांव चंद्रपुरा, जिला महेन्द्रगढ़।
16. सिपाही जगतपाल, गांव चूली बागड़ियान, जिला हिसार।
17. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव पेटवाड़, जिला हिसार।
18. सिपाही अनिल कुमार, महेन्द्रगढ़।
19. सिपाही अमित कुमार, गांव चांगरोड़, जिला भिवानी।
20. सिपाही रणधीर सिंह, गांव ख्वाजा अहमदपुर, जिला करनाल।
21. सिपाही अमित, गांव किशनगढ़, जिला रोहतक।
22. सिपाही मदन लाल, गांव माण्डीकलां, जिला जींद।

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

मैं अपनी व अपने दल की तरफ से इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत-शत नमन करता हूं और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

स्पीकर सर, इसके साथ-साथ मैं परिवहन मंत्री श्री आफताब अहमद की मामी श्रीमती नूरनिशा, विधायक श्री राजेन्द्र सिंह जून की माता श्रीमती भगवानी देवी, पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के भाई श्री आदराम नेहरा, पूर्व मंत्री श्री हर्ष कुमार के पिता श्री राजेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक श्री हरि राम के पुत्र श्री सतीश कुमार, पूर्व मंत्री श्री बलवंत राय तायल की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी तायल और इनके साथ मैं एक नाम और जोड़ना चाहता हूं हमारी पार्टी के विधायक श्री बिशन लाल सैनी की भाभी श्रीमती मधु, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से इन सभी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो महान आत्माएं हमें छोड़ कर चली गई हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए कुछ न कुछ बलिदान दिये हैं तथा वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और वे सैनिक जिन्होंने देश और प्रदेश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन सबको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्रीमती रेणुका विश्नोई (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं मैं भी उनका समर्थन करती हूँ तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I also associate myself with the Obituary References made by the Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House.

I feel deeply grieved on the sad demise of Shri Sis Ram Ola, Union Minister; Smt. Shanti Devi Rathi, former Minister of Haryana; Chaudhary Chanda Singh, former Minister of State, Haryana; Chaudhary Har Sarup Bura, former Parliamentary Secretary of Haryana; Sardar Harnam Singh, former Member of Haryana Legislative Assembly; Freedom Fighters & Martyrs of Haryana; relatives of Transport Minister, MLA, Ex-Ministers and Ex-MLA, whose names have been mentioned by the Chief Minister and other Members of this House.

Shri Sis Ram Ola was elected to the Rajasthan Legislative Assembly for eight times and also remained Minister for a very long period in that State. He held various important portfolios in the Rajasthan Cabinet. He was also elected to Lok Sabha for five times and was Union Minister at the time of his death last year. He

was Padma Shree Awardee, a veteran Parliamentarian and an able Administrator, who held various very important portfolios in the Union Cabinet.

Smt. Shanti Devi Rathi was elected to the Haryana Vidhan Sabha for two times and remained Chief Parliamentary Secretary, Minister of State and Cabinet Minister also. She was Teachers Union Leader.

Chaudhary Chanda Singh was elected to this House twice and he was a great social worker who also remained Minister of State.

Chaudhary Har Sarup Bura was elected to Haryana Vidhan Sabha twice and remained Parliamentary Secretary for some time. He was dedicated social worker.

Sardar Harnam Singh was elected to this House once. He was a great workers' leader.

Freedom Fighters and Martyrs are great personalities, whose sacrifices cannot be forgotten by anyone. These are such selfless people who do not care for their own and are always ready to serve the society and the country as a whole and their supreme sacrifices make the citizens' life much better.

We are also very much concerned about the death of our nears and dears and we all miss them a lot.

I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

विभिन्न मामलों को उठाना

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 12 दिन से जंतर-मंतर में गैस्ट टीचर्स लम्बे समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। इसलिए सबसे पहले हमें उनके बारे में विचार करना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसके लिए वह बहुत लम्बे समय से संघर्ष कर रहें हैं। सर, इसके लिए मैंने कालिंग अटैंशन मोशन भी दिया है। यह लोगों की जिन्दगी का सवाल है। पंद्रह हजार परिवारों की जिन्दगी का सवाल है। इसलिए आज इस मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा कराई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए उचाना के किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश है इसलिए इस बारे में हमारी सरकार को भी अपनी रिकमैंडेशन केन्द्र सरकार को भेजनी चाहिए। इस आयोग की ग्रुप ऑफ मीनिस्टरी के अध्यक्ष हमारे ऑनरेबल चीफ मीनिस्टर हैं। सर, स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागु करवाने के लिए आज प्रदेश में रास्ते भी बंद है और किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सरकार को उन किसानों की मांग पर ध्यान देना चाहिए और उस पर वक्तव्य भी देना चाहिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पिछले हाऊस में जब हमने एक सी.डी. का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम लोकायुक्त को यह इन्कवायरी दे रहे हैं। अब लोकायुक्त का फैसला भी आ चुका है। उसने अपनी रिकमैंडेशन दी है कि श्री रामकिशन फौजी के खिलाफ भ्रष्टाचार को फैलाने की एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। आज पूरे देश के अन्दर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी जा रही है। लोकपाल को मजबूत बनाया जा रहा है और सरकार लोकायुक्त के फैसले को मानने की बजाय रिव्यू-पैटीशन में जा रही है। सर, इफैक्टिड आदमी तो रिव्यू-पैटीशन में जाए तो कोई बात नहीं परन्तु सरकार जा रही है यह ठीक नहीं है। अत: सबसे पहले लोकायुक्त के फैसले को यहां पर लागु कराया जाए।

श्री अनिल विज : सर, मेरा निवेदन है कि हाऊस में पहली बार यह देखा गया है कि मार्शल सी.एम. साहब को घेर कर खड़े हुए हैं उनको वहां से हटाया जाए। सी.एम. साहब को किस से खतरा है। (शोर एवं व्यवधान) यहां सदन में किसको किस से खतरा है। (शोर एवं व्यवधान)।

घोषणाएं-

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons:-

1. Prof. Sampat Singh, MLA
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA
3. Shri Rampal Majra, MLA
4. Smt. Kavita Jain, MLA

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आज यहां सदन में गैस्ट टीचर्स की बात की जा रही है जो 12 दिन से दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह विधान सभा के लिए बड़े शर्म की बात है। इसलिए पहले इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : * * * * * सर, आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : सर, यह बड़े शर्म की बात है कि आज पहली बार मार्शलों के घेरे के अन्दर सदन चल रहा है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform that I have received an intimation (interruption)

श्री नरेश कुमार बादली : हमारे मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत हैं। तुम में से कौन हमारे मुख्यमंत्री चौ. भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बराबरी करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री राम पाल माजरा : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : सर, यहां सदन में इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार को फैलाने वाले हैं और सी.एल.यू. के नाम पर पैसे मांगने वाले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सत्ता पक्ष से श्री नरेश कुमार बादली तथा विपक्ष के कुछ सदस्य अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गये और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने लगे।)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर,* * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर,* * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर,* * * (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, * * * (शोर एवं व्यवधान)

(ii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(i)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Kumari Sharda Rathore, CPS/Home in which she has expressed her inability to attend the sitting of the House today, the 21st February, 2014 due to certain important engagements in her Ballabgarh Constituency.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Bharat Bhushan Batra, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 21st February, 2014 due to unavoidable circumstances.

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Secretary will make an announcement. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, लिस्ट ऑफ बिजनैस के हिसाब से तो पहले बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए थी?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, आज के लिस्ट ऑफ बिजनैस के हिसाब से अगर देखें तो सैक्रेटरी की अनाऊंसमैंट को बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद लिया जाना चाहिए था?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : देखिये, सैक्रेटरी की अनाऊंसमैंट के तुरन्त बाद बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, अत: आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर,* * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * *(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर, 2013 में हुए सत्र में पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की टेबल पर रखता हूँ।

SEPTEMBER SESSION, 2013

1. The Haryana Motor Vehicles Taxation Bill, 2013.
2. The Haryana Canal and Drainage (Amendment) Bill, 2013.
3. The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2013.
4. The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2013.
5. The Haryana Appropriation (No.4) Bill, 2013.
6. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2013.
7. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 2013.
8. The Haryana Cattle Fairs (Amendment) Bill, 2013.
9. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Second Amendment) Bill, 2013.
10. Indira Gandhi University, Meerpur, Bill, 2013.
11. The Haryana Town Improvement (Amendment and Validation) Bill, 2013.
12. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2013.
13. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2013.
14. The Haryana Management of Civic Amenities and infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Bill, 2013.
15. The Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2013.
16. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2013.

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

17. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2013.

18. The Haryana Legislative Assembly (Salary, Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2013.

19. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2013.

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर,* * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, * * *(शोर एवं व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Friday, the 21st February, 2014 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 10.00 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

On Friday, the 21st February, 2014 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the List of Business for the day.

The Committee further recommends that on Friday, the 28th February, 2014, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee also further recommends that on Tuesday, the 4th March, 2014, the Assembly shall meet at 10.00 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on 25th, 26th, 28th February, 2014, 3rd and 4th March, 2014 be transacted by the Sabha as under :—

THE HOUSE WILL MEET IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS ON THE 21ST FEBRUARY, 2014	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Mr. Speaker]

	3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
SATURDAY, THE 22ND FEBRUARY, 2014	HOLIDAY
SUNDAY, THE 23RD FEBRUARY, 2014	HOLIDAY
MONDAY, THE 24TH FEBRUARY, 2014	HOLIDAY
TUESDAY, THE 25TH FEBRUARY, 2014. (2.00 P.M.)	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule-121.
	3. Discussion on Governor's Address.
WEDNESDAY, THE 26TH FEBRUARY, 2014. (10.00 A.M.)	1. Questions Hour.
	2. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
	3. Resumption of General discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
	4. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2013-2014.
THURSDAY, THE 27TH FEBRUARY, 2014	HOLIDAY
FRIDAY, THE 28TH FEBRUARY, 2014 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour.
	2. Presentation of Budget Estimates for the year 2014-2015.
SATURDAY, THE 1ST MARCH, 2014	HOLIDAY
SUNDAY, THE 2ND MARCH, 2014	HOLIDAY
MONDAY, THE 3RD MARCH, 2014 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour.

2. Discussion on Budget Estimates for the year 2014-2015 and reply by the Finance Minister thereon.
3. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2014-2015.
4. Legislative Business.

TUESDAY, THE 4TH MARCH, 2014 (10.00 A.M.)

1. Questions Hour.
2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.
3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
4. Papers to be laid, if any.
5. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2013-2014.
7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2014-2015.
8. Legislative Business.
9. Any other Business."

Mr. Speaker : Now, the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर) : स्पीकर सर, आपने बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी है। 6 मार्च, 2013 को हुए पिछले बजट सैशन के बाद यह बजट सैशन आ

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

रहा है और मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश की किसी भी असैम्बली में आज तक गवर्नर ऐड्रस और बजट सत्र मात्र चार दिन में खत्म हुआ हो। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन की जरूरत है। 12 दिन से गेस्ट टीचर आमरण अनशन पर बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी 21 तारीख से 24 तारिख तक पूर्ण रूप से हड़ताल पर थे और पूरे हरियाणा में ऐसा हो गया था कि प्रदेश में न बिजली थी न पानी था। ऐसा लग रहा था कि सरकार सो रही है। लोग सड़कों पर आपस में डंडे बजा रहे थे। किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाना चाहते हैं और धरने पर बैठे हुये हैं। राज्य में बिजली और पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार के बारे में भी लोकायुक्त का फैसला आया है उस पर बोलना है, बजट पर बोलना है और गर्वनर ऐड्रस पर भी बोलना चाहते हैं। स्पीकर सर, मात्र चार दिन के लिए बजट सत्र बुलाना मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्य पूर्ण बात नहीं हो सकती है। सरकार को इतनी जल्दी क्या है ? सरकार चुनाव करवाने जा रही है, चुनाव में लोग जो हाल करेंगे वो तो बाद की बात है। पहले जिन लोगों ने आपको और हमें चुनकर भेजा है, जिनके प्रति आप और हम जवाबदेह हैं, उनकी समस्याओं पर चर्चा करें। सभी माननीय साथियों की बातों को आप मानने का काम करें। आप जो छह दिन का सैशन लाए हैं, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की समय अवधि बढ़ाई जाये।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : स्पीकर सर, यह इस सरकार का अंतिम बजट सत्र है। माननीय सदस्यों के दिलों में बहुत सी बातें हैं जिनको वे पिछले सदनों में नहीं कह पाये। बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसा माननीय श्री अशोक कुमार अरोड़ा ने भी अभी बताया है कि किसान आज प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, टीचर आंदोलन कर रहे हैं और डिप्लोमा इंजीनियर भी आंदोलन कर रहे हैं। लगभग हर विभाग में कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। स्पीकर सर, हम उनके नुमाईंदे हैं। हमें यहाँ बैठकर उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पा रही है। आज हरियाणा प्रदेश में श्री अशोक कुमार खेमका जैसे ईमानदार आई.ए.एस. अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कभी विजिलैंस से जांच करवाई जाती है। कभी सी.बी.आई. को केस दिया जाता है और कभी सी.बी.आई. से केस वापस ले लिया जाता है। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है और आज उसका नजारा हम विधान सभा के अंदर देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, जब इस बारे में डिस्कशन होगा तब आप इस बारे में अपनी बात कह लेना। Now, Just give suggestions regarding Business Advisory Committee Report only.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, हमारे माननीय विधायकों के पास बहुत से मुद्दे हैं और इसके अलावा सभी विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों के भी मुद्दे हैं। जिनके बारे में सरकार की तरफ से पिछले पांच सालों में कुछ नहीं हुआ, हम जाते-जाते कुछ तो सरकार से करवा लें। जाते-जाते कुछ न कुछ तो सरकार करेगी ही (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसलिए कम से कम 15 सिटिंग तो सदन की अवश्य करें ताकि सारे विधायक अपने-अपने हल्के की समस्याएं रख सकें। हम आगे चुनाव में जा रहे हैं इसलिए यह बहुत ज्यादती और प्रजातंत्र का गला घोंटने के समान है।

श्री अध्यक्ष : आपका सुजैशन क्या है ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा सुजैशन यह है कि बजट सत्र की अवधि को कम से कम 15 दिन किया जाये।

Mr. Speaker : Shri Ram Pal Majra Ji very briefly please.

श्री राम पाल माजरा (कलायत) : स्पीकर सर, जब आप अध्यक्ष के पद पर चुनकर आये थे तो आपने यह कहा था कि बहुत स्वस्थ परम्पराएं इस सदन में रखूंगा। सदन बहुत लम्बे समय तक चले ताकि सभी विधायकअपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों की बात कह सकें। अगर हम इस सारे कार्यकाल पर जायें तो पता चलता है कि कितना हमारा सदन चला ? स्पीकर सर, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछले 10 वर्ष में हमारी असैम्बली हर वर्ष लगभग 11 दिन ऑन एंड एवरेज चली है, जबकि दिल्ली असैम्बली 21 दिन और हिमाचल असैम्बली 31 दिन तक चली है। सर, हरियाणा विधान सभा में सन् 2012 में 19 विधेयक और इसी प्रकार से सन् 2011 में 10 विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हो गए। सर, सदन में बिलों पर बहस हो सके, सारे विधायक अपने-अपने विचार कंट्रीब्यूट कर सकें और अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों की आवाज उठा सकें इसलिए सदन की अवधि बढ़ाना जरूरी है। वर्ष 2012 में बजट सत्र का बजट पर सात फीसदी, गवर्नर एड्रैस पर 17 फीसदी, विधायकी कार्यों पर 5 फीसदी और अन्य कार्यों पर 71 फीसदी समय खर्च हुआ है। वर्ष 2012 में 31 घंटे और और वर्ष 2013 में 37 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस बार बजट सत्र की अवधि सिर्फ छह दिन ही रखी गई है। हरियाणा विधान सभा के इतिहास में यह पहली बार होगा कि बजट सत्र सिर्फ छह दिन का है। इससे छोटा बजट सत्र शायद नहीं हो सकता था। आप भी यह कहेंगे कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसको लागू करने के लिए पटल पर रख दिया। पिछले सैशन की बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में सत्र तीन दिन के लिए मंजूर हुआ था लेकिन इसे चार दिन चलाया गया, क्योंकि आपने जान-बूझकर हमें सदन से बाहर कर दिया ताकि हम लोग सदन से बाहर रहें और सत्ता पक्ष के लोग अपनी-अपनी बातें कहते रहें। स्पीकर सर, झूठे गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। सच्ची बात अगर विपक्ष की आएगी और उस समस्या को मुख्यमंत्री दूर करेंगे यह एक सार्थक पहल होगी और लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं रही, पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गैस्ट टीचर जंतर मंतर, दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे हैं, किसान आमरण अनशन पर हैं और डिप्लोमा इंजीनियर हड़ताल पर हैं। सर, मेरे कहने का भाव यह है कि सरकार जाते-जाते कम से कम 15-20 दिनों तक बजट सत्र की अवधि को बढ़ाये ताकि विधायकों द्वारा प्रदेश के लोगों की समस्याएं उठाई जा सकें और सार्थक सुझावों को सरकार मान सके तथा माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की बातें सरकार तक पहुंचा सकें। सर, सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे तो यहीं कह रहे हैं कि हरियाणा नम्बर-1 बन गया, बहुत कुछ आज हरियाणा प्रदेश में हो गया। (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि इनको पता है कि जब ये छत्तीसगढ़ गये तो उन्होंने कहा कि हरियाणा मॉडल लागू होगा, मध्यप्रदेश में हरियाणा मॉडल लागू होगा, दिल्ली में हरियाणा मॉडल लागू होगा और राजस्थान में भी हरियाणा मॉडल लागू होगा। सर, इसके क्या परिणाम आए ? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि अगर सम्भल सको तो सम्भल जाओ, नहीं तो जाने की घंटी बज चुकी है। धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप लोग बैठ जाइये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि यहां सदन के अंदर जनता के चुने हुए नुमाइंदे बैठे हुए हैं। सदन के अंदर जो इतने सारे मार्शल खड़े हैं उनको कम से कम पीछे बिठा दिया जाये। सदन के अंदर किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है (शोर एवं व्यवधान) अगर सरकार सदन में भी सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे होगी ? मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों को बैठाया जाए। सरकार को आखिरकार डर किससे है अपनों से डर है या बेगानों से डर है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिए, आप सभी मैंबर साहेबान सुनिए। Let me speak. (शोर एवं व्यवधान) Please let me read-out. मार्च, 2000 से 2004 तक सदन की कुल 47 सिटिंग्स हुई हैं और 2004 से अब 81 सिटिंग्स हुई हैं। जो कि लगभग दुगुनी हैं। (शोर एवं व्यवधान) आपके समय में इससे कम सिटिंग हुई हैं। यह तो रिकार्ड की ही बात है।

श्री अभय सिंह चौटाला : बजट और गवर्नर ऐड्रस पर आप बताएं कि हमारे समय में कब कम सिटिंग हुई हैं ?

Mr. Speaker : Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वाक आउट्स

(i)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, मेरी और मेरी पार्टी के सदस्यों की मांग है कि हमारे पास सदन में जनहित में उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं इसलिए सदन की अवधि बढ़ाई जाए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद सदन की अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है इसलिए हम सदन की अवधि न बढ़ाए जाने के विरोध में ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य एवं शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र सदस्य सरदार चरणजीत सिंह सदन की अवधि न बढ़ाए जाने के विरोध में सदन से वाकआउट कर गए।) (शोर एवं व्यवधान)

(ii)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एवं मेरी पार्टी के सभी सदस्यों के पास सदन के समक्ष रखने के लिए जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं अत: हमारी मांग है कि बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि सभी सदस्य अपनी अपनी बात सदन में आसानी से रख सकें।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद सदन की अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है इसलिए हम सदन की अवधि न बढ़ाए जाने के विरोध में ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एवं हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी.एल.) की एकमात्र सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई सदन की अवधि न बढ़ाए जाने के विरोध में ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.4 of 2013).

The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.5 of 2013).

The Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-technical Posts) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.6 of 2013).

The Haryana Right to Service Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.7 of 2013)

The Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.1 of 2014).

The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.2 of 2014).

The Haryana Municipal Corporation (Third Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No.3 of 2014).

Sir, I beg to relay on the Table of the House—

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 67/H.A.19/ 1986/S.4/2013, dated the 13th August,2013 regarding the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Amendment Rules, 2013 as required under section 4 (2) of the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Act, 1986.

The Personnel Department Notification No. G.S.R.9/Const./Art.320/2013, dated the 1st April, 2013 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Personnel Department Notification No. G.S.R.13/Const./Art.320/2013, dated the 26th April, 2013 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 132/H.A.6/2003/S.60/2013, dated the 31st December, 2013 regarding amendment in the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2013, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2011-2012, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board, Panchkula for the year 2011-2012, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 39th Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Limited Panchkula for the year 2012-2013, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 43rd Annual Report of Haryana State Warehousing Corporation for the year 2009-10, as required under section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The Finance Accounts (Volume-I & II) for the year 2012-2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts for the year 2012-2013 of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और यहां पर * * * *

श्री अध्यक्ष : अशोक अरोड़ा जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA, (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/ breach of privilege by him and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA, (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/ breach of privilege by him.

Sir, I also beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts

[Mr. Speaker]

to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made

categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA, Chairperson, Committee of Privileges will present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA(now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70-L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/ contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Mr. Majra, let him speak, please. Nothing is to be recorded.

श्री रघुबीर सिंह कादियान : ...

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Mr. Majra, let him speak, please. Nothing is to be recorded.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Seventh Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA(now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70-L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 25th February, 2014.

*16.51 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 25th February, 2014.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ LIBRARY ★ Chandigarh

52262—H.V.S.—H.G.P., Chd.